



2026:AHC:39045

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या-5969/2026

सतीश चंद्र और अन्य

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: गौरव पांडे, पुरुषोत्तम पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. मैंने विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. इस मामले में पारित किये जाने वाले आदेश को दृष्टि में रखते हुए प्रतिवादी/प्रतिवादियों को नोटिस भेजकर तथा इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखकर कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादियों को आदेश से असंतुष्टि का अनुभव होता है तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 117 के अंतर्गत मामला संख्या 2368/2025 को पारित आदेश के अनुपालन के लिए प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष आवेदन दायर किया था। यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपरोक्त आदेश पक्षकारों के बीच अंतिम हो चुका है, किन्तु आज तक इसका अनुपालन नहीं किया गया है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि प्रतिवादी संख्या 2 इस मामले में शीघ्र निर्णय लेगा।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए इस याचिका का निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 2- उप-मंडल मजिस्ट्रेट, जलालाबाद, जिला-शाहजहांपुर को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त आदेश का कड़ाई से विधि के अनुसार, शीघ्रता से और अधिमानतः चार सप्ताह के भीतर पालन करें, किन्तु जब तक कोई विधिक बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दें।

(प्रकाश पाडिय, न्यायमूर्ति)

20 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”